निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 145 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी रायपुर, देहरादून,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी रायपुर, देहरादून, के माह 05/2012 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रदीप मौर्या,एवं सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं आशीष कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/03/2019 से 18/03/2019 तक श्री रणवीर सिंह,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः प्रथम लेखा परीक्षा है**

(iii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पशु चिकित्सा अधिकारी रायपुर, देहरादून के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं विभागीय सेवाएँ।

(iv) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2015-16				156.40	154.07		
2016-17				195.27	182.13		
2017-18				214.11	210.93		
2018-19				262.90	247.19		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17		शून्य			
2017-18					
2018-19(12/2018)					

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “C” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.सचिव पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल पौड़ी

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी देहरादून

पशु चिकित्सा अधिकारी, रायपुर

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी रायपुर, देहरादून,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी रायपुर, देहरादून,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2017,05/2018 एवं 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो ब</u>

प्रस्तर-1 साख सीमा उपलब्ध होने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विलंब से किया जाना।

कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, रायपुर देहरादून की लेखा परीक्षा(03/2019) के दौरान मासिक लेखा(बीएम-4) की जांच में पाया गया कि माह जून 2017 में रुपए 18995534/- कि साख सीमा उपलब्ध होने के बाद भी कर्मचारियों को माह जून 2017 के वेतन का भुगतान माह जुलाई 2017 की 10 तारीख को किया गया है।

उक्त की ओर लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि माह के अंतिम सप्ताह में वेतन कोषागार में feed कराया जाता है, तदनुसार कोषागार द्वारा अपने स्तर से वेतन आहरित किया जाता है।

कार्यालय का उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा माह जून 2017 के वेतन बिल को कब अपलोड किया था, का साक्ष्य लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गाय जबकि वेतन बिलो को प्रति माह कि 25 तारीख तक ही अपलोडकिए जाने का प्रावधान है ताकि माह के अन्त में करचरियों को वेतन का भुगतान कोषागार द्वारा किया जा सके।

अतः कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विलंब से किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	प्रथम लेखा परीक्षा		
2			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखा परीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी रायपुर, देहरादून,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	डा. श्री शैलेंद्र सिंह	पशु चिकित्सा अधिकारी	07/2011 से 8/2013
2.	डा. श्री डी के शर्मा	पशु चिकित्सा अधिकारी	08/2013 से 07/2014
3.	डा. श्री प्रमोद पाठक	पशु चिकित्सा अधिकारी	08/2014 से 21/7/2017
4.	डा. श्री मनीष पटेल	पशु चिकित्सा अधिकारी	22/07/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी रायपुर, देहरादून,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड कालसी, के माह 01/2018 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच, जो श्री भारत सिंह, श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री नन्दन सिंह भण्डारी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06/03/2019 से 14/03/2019 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई, लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पर आधारित नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी।

प्रस्तर-1 खण्ड के अन्तर्गत कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन अनुपालन आख्या सक्षम अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त भेजा जाना लेखा परीक्षा को अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-2 खण्ड द्वारा कार्यालय महालेखाकार(लेखा /हकदारी) को प्रेषित माह 12/2018 के फॉर्म-51 के भाग - 2 में दर्शाई जा रही असमायोजित धनराशियों को कोषालय से पत्राचार कर शीघ्र समायोजित कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-3 खंड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओ में विभिन्न नामांकन प्रपत्र चस्पा कर एवं सेवा पुस्तिकाओ को सत्यापित कर एवं अन्य त्रुटियों का निराकरण कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-4 खण्ड की विविध अग्रिम पंजिका में ठेकेदारों से वसूल की जाने वाली धनराशि एवं आई आई टी रुड़की को दी गई धनराशि का समायोजन यथाशीघ्र वसूल/समायोजित कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-5 निक्षेप पंजिका के भाग-3 में दर्शाई जा रही ऋणात्मक धनराशि, जो की निक्षेप कार्यो पर प्राप्तियों से अधिक धनराशि व्यय की गई है उक्त धनराशियों को यथाशीघ्र समायोजित कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-6 निक्षेप पंजिका के भाग-5 में विभिन्न राजस्व मदों में धनराशियों को विगत वर्षो से असमायोजित दर्शाया जा रहा है। एवं उक्त राजस्व धनराशियों को वर्तमान तक भी समायोजित नहीं किया गया है।

असमायोजित राजस्व धनराशियों को यथाशीघ्र समायोजित कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-7 खण्ड में कार्यरत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री वेद प्रकाश के लेखे में आहरण की सही धनराशि का अंकन करना, श्री विजय कुमार पानीवाला के लेखे में आहरित धनराशि का अंकन किया जाना, श्री मो. नाजिर, श्री जवाहर सिंह एवं श्री प्रमोद कुमार के लेखे मे माह 03/2018 का अभिदान का अंकन किया जाना एवं लेजर में वर्णित अन्य त्रुटियों को दूर कर एवं सक्षम अधिकारी से सत्यापित कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-8 खण्ड के अंतर्गत परित्याग की जाने वाली नहरों को यथाशीघ्र परित्याग की कार्यवाही पूर्ण कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा।।

प्रस्तर-9 खण्ड के अंतर्गत विगत वर्षो से अन्य विभागो/दैवीय आपदा द्वारा क्षतिग्रस्त नहरों को सबधित विभगो से धनराशि प्राप्त कर नहरों को चालू किए जाने की कार्यवाही पूर्ण कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-10 खंड के अंतर्गत खंड की पद स्वीकृति के सापेक्ष अधिक तैनात कर्मचारियों को यथाशीघ्र समायोजित कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
दल संख्या-5 / आर्थिक खण्ड-II

आर्थिक खंड-2/ निरी0 दल-04/AIR- /2018-19/ **दिनांक 22/03/2019**

प्रतिलिपि **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड,कालसी,** को इस आशय के प्रेषित की जा रही है कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी की अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र-2), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कार्यालय सह-आवासीय भवन,पोस्ट ऑफिस -कौलागढ़ गढ़ी कैंट, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
दल संख्या-5 / आर्थिक खण्ड-II